भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5442

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु 'मेक इन इंडिया' पहल

5442. श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ाने, विशेषकर नवोन्मेष को बढ़ावा देने, व्यापार करने में सुगमता में सुधार करने और नए बाजारों तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए क्या उपाय और कार्यनीतियां अपनाई गई हैं; और

(ख) 'मेक इन इंडिया' पहल को किस प्रकार एमएसएमई क्षेत्र के साथ जोड़ा जा रहा है और इस पहल के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और एमएसएमई के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार ने एमएसएमई के विकास को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें नवाचार को बढ़ावा देने, व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार लाने और नए बाजारों तक के पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए उपाय सम्मिलित हैं।

एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई चैंपियंस योजना को कार्यान्वित करता है जिसका उद्देश्य एमएसएमई की उत्पादकता बढ़ाकर, अपव्यय को कम करके, प्रतिस्पर्धा में सुधार करके उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर उनका आधुनिकीकरण करना है। इस योजना में तीन घटक शामिल हैं: i) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन स्कीम, ii) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और iii) एमएसएमई- इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) स्कीम ।

एमएसएमई-इनोवेटिव योजना, इनक्यूबेशन में नवाचार, डिजाइन संबंधी कार्यों और एकल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की सुरक्षा को शामिल करके नवाचार को संपोषित करती है, ताकि भारत के नवाचार के बारे में एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित किया जा सके।

एमएसएमई के लिए व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार करने के लिए, की गई कई पहलें नीचे दी गई हैं:

i. एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड अपनाए गए हैं।

ii. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण" शुरू किया गया है।

iii. एमएसएमई मंत्रालय ने अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पंजीकृत आईएमई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

iv. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।

v. एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया देय राशि संबंधी शिकायतों को दर्ज करने और इनकी निगरानी के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है।

vi. शिकायतों का निवारण और एमएसएमई की हैंडहोल्डिंग सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियंस" का शुभारंभ किया गया है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सुनिश्चित बाजार हिस्सेदारी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए खरीद नीति आदेश, 2012 जारी किया गया है। अधिप्राप्ति और विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) के माध्यम से व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों में प्रतिभागिता से एमएसई को आधुनिक पैकेजिंग तकनीक, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों आदि को अपना कर बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए लाभ प्रदान किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के तहत, विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुगम बनाने और देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के पात्र संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

डीपीआईआईटी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' पहल 25 सितंबर, 2014 को निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का शुभारंभ करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित होने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता करने के उद्देश्य से देश भर में नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और विस्तार केंद्रों (ईसी) की स्थापना की है। ये टीसी/ईसी एमएसएमई और कौशल की मांग करने वाले एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, इनक्यूबेशन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें आयात पर निर्भरता को कम करने और नए अवसरों का सृजन करने के अलावा देश में विनिर्माण करने में सक्षम बनाती हैं एमएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) योजना शुरू की गई है।

*****